नगरपालिका सोलन का बाबत साल वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 का संपरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

=====================================================================

## भाग-1.

1. <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-</u> गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाई की समीक्षा करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं :-

(1) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन 3/70 से 12/70 तक :</u>

पैरा 8: समाप्त ।

(2) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/72 से 3/73 तक :</u>

पैरा क्र० 7 :— शेष ।

(3) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/75 तक :</u>

पैरा 8(ई) : समाप्त ।
पैरा 11(डी) : शेष ।
पैरा 12(ख) शेष ।

(4) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/75 से 3/76 तक :</u>

पैरा 6 : आपत्ति का आंशीक निपटारा हुआ है । 4351/रु0 के भुगतान का एस डी ओ द्वारा हिसाब देना बाकी है ।
पैरा 12(4) : शेष ।
पैरा 16 : शेष ।
पैरा 26(3) शेष ।
पैरा 26(4) : शेष ।

(5) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/82 तक :</u>

पैरा 17(सी) शेष ।
पैरा 18(बी) : शेष ।
पैरा 18(डी) शेष ।
पैरा 19(ए) समाप्त ।
पैरा 20 : शेष ।
पैरा 21(8) शेष ।
पैरा 21(9) शेष ।
पैरा 21(14) शेष ।
पैरा 21(17) शेष ।
पैरा 21(19) शेष ।
पैरा 21(25) शेष ।
पैरा 21(24) समाप्त ।
पैरा 29 : शेष ।
पैरा 31(डी) शेष ।

....2...

§6§ अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83 तक :

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 18§सी§ | शेष । | |
| पैरा 18§एफ§ | शेष । | |
| पैरा 19 :- | शेष । | |
| पैरा 22 | शेष । | |
| पैरा 23 | शेष । | |

§7§ अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84 तक :

| | | |
|---|---|---|
| पैरा 8 :- | शेष । | |
| पैरा 9 :- | शेष । | |
| पैरा 13 :- | शेष । | |
| पैरा 14 :- | शेष । | |
| पैरा 15 :- | शेष । | |
| पैरा 17 :- | शेष । | |
| पैरा 20 :- | शेष । | |
| पैरा 21 :- | शेष । | |
| पैरा 22 : | शेष । | |
| पैरा 24 | [illegible] | पैरा 24§ए§ का निपटारा हुआ अन्य उप अनुच्छेद शेष हैं । |
| पैरा 25 : | शेष । | |
| पैरा 26 : | शेष । | |

§8§ अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/84 से 3/85 :

| | |
|---|---|
| पैरा 6 : | शेष । |
| पैरा : 8 : | शेष । |
| पैरा 9 : | शेष । |
| पैरा 11 : | शेष । |
| पैरा 13§7§ | शेष । |
| पैरा 14 से 28 तक | शेष । |
| पैरा 29 : | शेष । |

§9§ अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/85 से 3/87 :

| | |
|---|---|
| पैरा 3§ए§2§ : | शेष । |
| पैरा 3§ए§3§ | शेष । |
| पैरा 3§ए§5§ : | शेष । |
| पैरा 5 :- | पैरा5§एफ§ निपटाया गया अन्य पैरे अभी शेष हैं । |
| पैरा 6§ए§ : | शेष । |
| पैरा 6§बी§ : | शेष । |



Scanned with OKEN Scanner

| | |
|---|---|
| [illegible] | शेष । |
| पैरा 6 §सी§ | शेष । |
| पैरा 6 §डी§ | शेष । |
| पैरा 6 §ई§ | शेष । |
| पैरा 6 §एफ§ | शेष । |
| पैरा 6 §जी§ | शेष । |
| पैरा 6 §एच§ | शेष । |
| पैरा 6 §आई§ | शेष । |
| पैरा6 §जे§ | शेष । |
| पैरा 6 §के§ | शेष । |
| पैरा 6 §एल§ | शेष । |
| पैरा 7 | शेष । |
| पैरा 8§1§ | शेष । |
| पैरा 8§2§ | शेष । |
| पैरा 8§3§ | शेष । |
| पैरा 8§4§ | शेष । |
| पैरा 8§5§ | शेष । |
| पैरा 9: | शेष । |
| पैरा10§1§ | शेष । |
| पैरा 10§2§ | शेष । |
| पैरा 10§3§ | शेष । |
| पैरा 10§4§ | शेष । |
| पैरा 10§5§ | शेष । |
| पैरा 10§6§ | शेष । |
| पैरा 10§7§ | शेष । |
| पैरा 10§8§ | शेष । |
| पैरा 10§9§ | शेष । |
| पैरा 10§10§ | ~~शेष~~ समाप्त । |
| पैरा§10§11§ | शेष । |
| पैरा 10§12§ | शेष । |
| पैरा 10§13§ | शेष । |
| पैरा 10§14§ | शेष । |
| पैरा 10§15§ | शेष । |
| पैरा 10§16§ | शेष । |
| पैरा 10§17§ | शेष । |

§10§ अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88 तक :

| | |
|---|---|
| पैरा 2 से 5 तक | समाप्त । |
| पैरा 6§ए§,6§बी§ | समाप्त । |

...4....

113

| | |
|---|---|
| पैरा 6(सी) | शेष । |
| पैरा 6(डी) | शेष । |
| पैरा 6(ई) | शेष । |
| पैरा 6(एफ) | शेष । |
| पैरा 7(ए)(बी)(सी)(डी): | समाप्त । |
| पैरा 8: | समाप्त । |
| पैरा 9: | शेष । |
| पैरा 10, 11, 12, 13, 14 | समाप्त । |
| पैरा 15 | शेष । |
| पैरा 16: | समाप्त । |
| पैरा 17(ए): | शेष । |
| पैरा 17(बी): | शेष । |
| पैरा 17(सी) | समाप्त । |
| पैरा 18: | समाप्त । |
| पैरा 19: | शेष । |
| पैरा 20: | शेष । |
| पैरा 21: | शेष । |
| पैरा 22(ए): | शेष । |
| पैरा (22(बी) | शेष । |
| पैरा 22(सी) | शेष । |
| पैरा 23(1): | शेष । |
| पैरा 23(2): | शेष । |
| पैरा 24(ए): | शेष । |
| पैरा 24(बी): | शेष । |
| पैरा 24(सी): | शेष । |
| पैरा 24(डी): | शेष । |
| पैरा 24(ई) | शेष । |
| पैरा 24(एफ) | शेष । |
| पैरा 25: | शेष । |
| पैरा 26(ए) | शेष । |
| पैरा 26(बी) | शेष । |
| पैरा 27: | शेष । |
| पैरा 28: | शेष । |
| पैरा 29: | शेष । |
| पैरा 30(ए) | शेष । |
| पैरा 30(बी) | शेष । |
| पैरा 31(ए): | शेष । |
| पैरा 31(बी): | शेष । |

शेष पैरों के सम्बन्ध में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जाए

....5..

तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि समयबद्ध ढंग से इनका निपटारा किया जाए ।

2. **वर्तमान अंकेक्षण:-**

अवधि 4/88 से 3/90 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जिस के परिणाम निम्नलिखित हैं, श्री के०के० मल्होत्रा, सहायक नियन्त्रक द्वारा अवधि 3.11.89 से 14.8.90 तक किया गया , इस में माह 5/88, 9/88 ,11/88,3/89, 5/89, 9/89, 12/89, तथा 3/90 के लेखों की विस्तृत जांच की गई निम्न अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त आपेक्षित अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ।

3. **वित्तीय स्थिति:-** अंकेक्षणावधि में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी :-

| | 1988-89 | 1989-90. |
|---|---|---|
| गत वर्ष का प्रारम्भिक शेष ... | 2,20,843 | 1,25,805 |
| वर्तमान वर्ष की कुल आय..... | 57,81,396 | 57,50,009. |
| योग:- | 60,02,239 | 58,75,814 |
| वर्तमान वर्ष का कुल व्यय | 58,76,434 | 51,98,066 |
| वर्ष के अंत में शेष ... | 1,25,805 | 6,77,748 |

नगरपालिका रोकड़ के अनुसार अन्त शेष 6,77,348 रू० था जबकि आडिट द्वारा यह 6,77,748 रू० निकाला गया । मु0400/-रू० का अन्तर दिनांक 7.2.90 को पाया गया जिसे तुरन्त ठीक करके आगामी लेखा-परीक्षा पर दिखाएँ ।

3 {बी} **निवेश {इनवैस्टमैंटस}:** कमेटी ने दिनांक 31.3.90 को पालिका निधि से निम्नलिखित निवेश किए गए थे :-

| निवेश की प्रकृति | रकम | दिनांक | अवधि पूर्ण होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. पंचवर्षीयआवधिक जमा स्टेट बैंक आफ इंडिया,सोलननं0टीजे199968 | 1,00,000/- | 6.8.87 | 6.8.92 |
| 2. पंचवर्षीय आवधिक जमा स्टेट बैंक आफ पटियाला,सोलन न0 ए292121 दि020.10.87. | 2,00,000/- | 20.10.87 | 20.10.92. |
| 3. 5½वर्षीय किसान विकास पत्र न000एए469766/ से469400 {200न0} प्रत्येक एक हजाररू0का | 2,00,000/- | 12.5.88 | 12.11.93 |
| योग:- | 5,00,000/- | | |

.......6....

115

उपरलिखित आवधिक जमा के अतिरिक्त दिनांक 31.3.90 को निम्नलिखित रकम बचत खाते में थी ।

1. स्टेट बैंक आफ पटियाला में बचत खाते की राशि =7,122.83
2. डाकघर में बचत खाते में राशि । =4,916.80

रोकड़ बही में दर्शाया गया दिनांक 31.3.90का अंतिम शेष । 6,77,348/-

(जो 6,77,748/-रु0 होना चाहिए)

3(iii):- नगरपालिका कर्मचारी भविष्य निधि से 31.3.90 को निम्नलिखित निवेश किए गए थे :-

| निवेश की प्रकृति | रकम | दिनांक | अवधि पूर्ण होने |
|---|---|---|---|
| 1. पंचवर्षीय आवधिक जमा डाकघर में खाता न0748246. | 4,00,000/- | 20.6.88 | 20.6.93 |
| 2. पंचवर्षीय आवधिक जमा डाकघर में न0748253 | 2,00,000/- | 23.12.88 | 23.12.93 |
| 3. पंचवर्षीय आवधिक जमा डाकघर में न0748287. | 6,00,000/- | 24.12.86 | 24.12.91 |
| 4. पंचवर्षीय आवधिक स्टेट बैंक आफ पटियाला, सोलन न0 ए301731. | 1,00,000/- | 27.2.87 | 27.2.92 |
| 5. पंचवर्षीय आवधिक जमा न0748238 डाकघर में । | 1,50,000/- | 28.3.88 | 28.3.93 |
| 6. पंचवर्षीय आवधिक जमा न0 748193 डाकघर में । | 3,00,000/- | 25.3.86 | 25.3.91 |
| 7. पंचवर्षीय आवधि जमा न0748239डाकघर में | 1,00,000/- | 29.3.88 | 29.3.93 |
| 8. पंचवर्षीय आवधिक जमा डाकघर में न0748302. | 5,00,000/- | 12.5.89 | 12.5.94 |
| 9. पंचवर्षीय आवधिकजमा संख्या 748313 डाकघर में । | 5,00,000/- | 31.3.90 | 31.3.95 |
| योग:- | 28,50,000/- | | |

4 <u>अंकेक्षण शुल्क:-</u>

अंकेक्षण शुल्क 8900/-रु0 बनी जिसका विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट "ए" में दिया गया है । सचिव, नगरपालिका, सोलन को अंकेक्षण फीस कोष में शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं,60-अन्य सेवाएं,110 सरकारी अंकेक्षण के लिए शुल्क "वि0प0" में जमा करवाने के लिए अनुरोध किया गया तथा मूल चालान को परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा वि0प0 शिमला-2 को सत्यापन के लिए भेजा जाए ।

....7....

5. सरकारी अनुदान:(ए) परिशिष्ट "बी" में दर्शायी गई अनुदानें कमेटी ने 1.4.88 से पहले प्राप्त का था तथा दिनांक 31.3.88 तक अनुपयुक्त थी । अनुदानों की शर्तों के अनुसार सभी निर्माण कार्य अनुदानों के प्राप्त होने की तिथि से एक साल के अन्दर शुरू होने चाहिए और कार्य सर्वथा अनुमोदित योजना तथा अनुमान के अनुसार होना चाहिए तथा दो साल के अन्दर समाप्त किया जाना चाहिए । परन्तु यह पाया गया कि अनेक कार्य अनुमोदित योजना तथा अनुमान के अनुसार नहीं किए गए तथा दोनों में काफी अन्तर है । उन सभी मामलों में जहाँ अनुमोदित नक्शे व,प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं किया गया है सक्षम अधिकारी से अन्तर (डिविएशन) की स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा उसे अंकेक्षण में दिखायी जाए ।

5.(बी):- परिशिष्ट"सी" जो इस आडिट नोट के परिशिष्ट"सी" में उन सरकारी अनुदानों को दर्शाया गया जो अंकेक्षण अवधि अर्थात वर्ष 1988-89 व 1989-90 में प्राप्त हुई । नगरपालिका यह सुनिश्चित करें कि इन अनुदानों को अनुदानों के स्वीकृत पत्र में बताई गई शर्तों के अनुसार ही खर्च किया जाए ।

5(सी):- निर्माण कार्य:- (ए) यह पाया गया कि वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में जो निर्माण कार्य हुए उनके सही अनुमान नहीं बनाए गए । इन अनुमानों के अवलोकन करने से यह पता चलता है कि इनमें कार्य स्थल जहां निर्मित किया जाना था का वर्णन भी नहीं किया है न ही कार्य का सही विवरण दिया है । इन अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करें ।

(डी) स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन कार्य मानकों के विरुद्ध था :-

(1) निविदाएँ मंगवाने की सूचना देना एक औपचारिकता थी जिसमें कार्य की मात्रा की सूची संलग्न नहीं की जाती थी निविदाओं में भरी गई दरों के अनुसार भुगतान नहीं होता ऐसे भी उदाहरण हैं वहाँ पर ठेकेदारों ने निविदाओं में ऊंची दिए गए दरों से भी/दरों पर कार्य किया है यह स्पष्ट करता है कि निविदाएं(टैण्डरज) मंगवाना केवल एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि जिन दरों पर भुगतान करना होता है वह बाद में निर्धारित की जाती है ।

(2) निर्माण कार्यों के अनुमानों की कार्य करवाते समय अनुपालना नहीं की जाती तथा जहाँ संशोधित अनुदान आवश्यक थे संशोधित अनुमान नहीं बनाए गए तथा नही उनकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई ।

(3) नीचे दर्शाये गए कुछ प्रकरणों में यह पाया गया कि ठेकेदारों को निर्माण कार्यों का आवंटन स्वयं द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया जबकि वह निर्माण कार्यों का आवंटन ठेकेदारों द्वारा निविदाओं में की गई दरों पर होना था या दरों के विश्लेषण के आधार पर जो औचित्यता बनती हो उसके आधार पर होना था :-

| निविदा प्राप्ति की तिथि | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | मद | उद्धरण में दर (अनुसूची दर से ऊपर) | कार्य आदेश में दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.88 | सिली रोड़ में सुधार (अनुमान 39,000/-रु0) | श्री वासनी कुमार | ईंट | 90% | 70% |
| | | | पत्थर | 18% | 18% |
| | | | स्टील | 72% | 55% |
| | | | अन्य | 68% | 35% |
| 28.9.99 | हास्पीटल रोड वाले नाले में सुधार | श्री अनुपा दत्ता | पत्थर | 18% | 18% |

....8...

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (अनुमानित राशि 9500/-रू0) | | ईंटें | 90% | 70% |
| | | | अन्य | 65% | 35% |
| 28.9.88 | पैलेस रोड का चौड़ान (अनु.लागत 19000/-रू) | श्री के0सी0वाली | पत्थर | 18% | 18% |
| | | | ईंट | 90% | 70% |
| | | | अन्य | 72% | 35% |
| 28.9.88 | रिटेनिंग दीवार का निर्माण आदि (अनु0लागत 22,000/-) | श्री अनुप दत्ता | पत्थर | 18% | 18% |
| | | | मिटी | 58% | 40% |
| | | | ईंटें | 90% | 70% |
| | | | अन्य | 65% | 35% |
| 7.11.88 | नाले की मुरम्मत तथा पोडियों का निर्माण (अनु0लागत12,000/-रू) | श्री सहज राम | ईंटें | 60% | 70% |
| 22.11.88 | पैलस रोड़ की मुरम्मत (अनु0लागत 19,000/- | श्री राकेश कुमार | सभी कार्य | 50% | 50% |
| 7.11.88 | सिली रोड़ की मुरम्मत (अनु0लागत 19,000/- | श्री के0सीवाली | मिटी/कार्य | 56% | 40% |
| | | | अन्य | 50% | 35% |
| 7.11.88 | संग्रहालय के नजदीक रास्ते का सुधार। | श्री गुलजारी लाल | पत्थर | 20% | 20% |
| | | | फीनिसिंग | 65% | 20% |
| | | | स्टील/अन्य | 65% | 55% / 35% |
| 22.11.88 | सिली रोड़ के नजदीक नाली का निर्माण (अनु028,000/- | श्री वासनी कुमार। | पत्थर | 25% | 25% |
| | | | ईंटें | 102% | 68% |
| | | | अन्य | 100% | 35% |
| 22.11.88 | शहर में बैरियर लगाना (अनु04400/-रू0) | श्री रमेश कुमार | सी.सी | 15% | 35% |
| | | | ईंटें | 80% | 70% |
| | | | पत्थर | 10% | 10% |
| | | | अन्य | 47% | 35% |
| 22.11.88 | रास्ते की मुरम्मत (नानक चन्द के घर के पास) (अनु0लागत 2500/-रू0 | श्री राकेश कुमार | ईंटें | 85% | 70% |
| | | | आरसीसी/स्टील | 65% | 55% |
| | | | अन्य | 65% | 35% |
| 22.11.88 | पैलेस रोड़ में टैरिंग (अनु0लागत45000/- | श्री विनोद दत्ता | टैरिंग | 18% | स्वीकृत |
| | | | अन्य कार्य | नीचे के आधार पर | |
| 22.11.88 | पैलेस रोड का चौड़ाव (अनु0लागत 8,000/-) | श्री अनुप चन्द | ईंटें | 75% | 70% |
| 22.11.88 | रिटैनिंग दीवार का पुन: निर्माण आई0बी0आई0 रोड (अनु0लागत 19700/-रू0) | श्री के0 सी वाली | पत्थर | 10% | 10% |
| | | | स्टील | 65% | 55% |
| | | | अन्य | 70% | 35% |

...9...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.88 | वन विभाग की ओर जाती हुई सड़क की टैरिंग तथा मरम्मत (अनु०लागत 17098/-रु०) | श्री सज्जन राम | पत्थर | 5% | 5% |
| | | | ईंटें | 65% | 70% |
| | | | टैरिंग | 45% | 30% |
| | | | अन्य | 55%/ | 35% |

उपरलिखित के अवलोकन करने से यह पाया गया कि ठेकेदार ने जो दरें निविदा में भरी हैं उन दरों पर निर्माण कार्य आदेश नहीं दिए गए हैं अर्थात मनमाने ढंग से वास्तविक मदों को विनिर्दिष्ट किए बिना व किसी प्रकार की औचित्यता को बनाए बिना निर्माण कार्यों का आवंटन किया गया है जिस का स्पष्टीकरण अगले लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत करें। निर्माण कार्य आदेश हमेशा सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों की तुलना में 20 फीसदी से 30 फीसदी ज्यादा दरों पर आवंटित किए गए हैं इसलिए ठेकेदार निविदा में दी गई दरों को कम दरों पर निर्माण कार्य करने पर तैयार रहते रहते हैं जबकि वास्तव में ऐसा करने|होने पर भी ठेकेदारों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की तुलना में अधिक अदायगी की जाती रही है जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा जाँच की जानी अनिवार्य है। निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा दी गई दरें केवल परस्पर वार्ता व औचित्यता के आधार पर कम किया जा सकता है किन्तु न ही परस्पर वार्ता का कोई अभिलेख उपलब्ध था तथा न ही किसी प्रकार की औचित्यता विश्लेषण दरों के आधार पर तैयार की जाती थी। उपरोक्त अनियमितता का उचित स्पष्टीकरण दें।

5(ई) <u>वाउचर न० 20 दिनांक 20-4-89 मु०508/-रु० के लिए:</u>

(1) मौ०कॉलोनी में चेम्बर को लाना तथा लगाना और मिट्टी को फैंकना।

उपरलिखित निर्माण कार्य का अनुमान 6-4-89 को तैयार किया गया जो मु०500/-रु० के लिए था वाउचर के साथ लगे संलग्न (कोटेशन) भी 6-4-89 में प्राप्त की गई थी तुलनात्मक विवरणी तथा निर्माण कार्य आदेश दिनांक 7-4-89 को तैयार किया गया तथा श्री प्रेम कुमार गुप्ता को कार्य आवंटित किया गया यह ठेकेदार चेम्बर लाने व लगाने हेतु मु०400/-रु० में तथा खोदी गई मिट्टी को एक रु० प्रति घनफुट की दर पर फैंकने को राजी था इस प्रकार (कोटेशन) लेना एक औपचारिकता थी क्योंकि दिनांक 6-4-89 को अनुमान तैयार किया गया और दिनांक 6-4-89 को ही भावदर लिये गए। नियमावली औपचारिकताओं का पालन नहीं किया जाता जिसे आगामी लेखा परीक्षा के समय स्पष्ट करें।

(2) <u>वाउचर संख्या 22 दिनांक 1-5-89 मु०1500रु० के लिए रास्ते की मुरम्मत, मयूर होटल के नजदीक।</u>

उपरलिखित निर्माण कार्य का अनुमान जो मु०500/-रु० के लिए था दिनांक 27-2-89 को तैयार किया गया जबकि भावदर (कोटेशन) दिनांक 21-2-89 को मांगी गई। श्री अरविन्द गुप्ता (ठेकेदार) को काम दिया गया जिसने दिनांक 20-2-89 को भावदर दिया था तथा ठेकेदार को इस कार्य के लिए मु०1500/-रु० का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा ने इस भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई:-

(1) स्वीकृत राशि मु०500/-रु० के बदले में मु०1500/-रु० का भुगतान किया गया।

....10...

[2] यह भी गलत है कि अनुमान 27-2-89 को तैयार हो सके और भावदर दिनांक 21-2-89 को मांग लिए हों तथा भावदर मांगने वाली तिथि से एक दिन पहले ही भावदर कार्यालय में प्राप्त हों। इन अनियमितताओं की पड़ताल करवाई जाए तथा लेखा परीक्षा को भी पड़ताल के परिणामों से इनमें अवगत करें।

[3] वाचर न0 23 दिनांक 1-5-88 मु04498/-रू के लिए।

[नालों की मरम्मत, आई0टी0 आई रोड, सब्जी मण्डी]।

उपरलिखित निर्माण कार्य का अनुमान दिनांक 8-6-88 को जो मु04000/-रू0 के लिए बनाया गया था। निविदाएं आमंत्रित सूचना [एम0आई0टी] नहीं दिखाई गई। निर्माण कार्य श्री एम0आर0 श्रमिक को निम्नलिखित दरों पर दिनांक 18-7-88 के कार्य आदेश द्वारा दिया गया :-

| | ठेकेदार को दिया गया दर | ठेकेदार द्वारा मांगा गया दर |
|---|---|---|
| ईंट का कार्य | 340/ | 375/ |
| मिटी का कार्य | 200/ | 240/ |
| सी0सी0 | 200/ | 222/ |
| फीनिशिंग | 120/ | 145/ |
| अन्य | 200/ | 220/ |
| पत्थर | 75/ | |

उपरोक्त लिखित कार्य के लिए मु04448/-रू0 का भुगतान किया गया।

इस निमार्ण कार्य की विभागीय औचित्यता नहीं बनाई गई थी जिसका स्पष्टीकरण आगामी लेखा-परीक्षा को दें तथा स्वीकृत अनुमानित लागत जो मु04000/-रू0 के लिए थी के विरूद्ध 4,448/-रू0 का भुगतान करने को भी स्पष्ट करें। संशोधित अनुमान तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाएं।

[4] वाउचर न0 24 दिनांक 1-5-89 मु04178/-रू0 के लिए श्रमिक महिला आवास की बांउड्री वाल के निर्माण कार्य के तीसरे तथा अंतिम बिल जो मु050,000रू0 के लिए है।

निर्माण कार्य का अनुमान दिनांक 22-8-88 को मु050,000 के लिए स्वीकृत किया। निविदा आमंत्रित सूचना अभिलेख में नहीं दिखाई गई निर्माण कार्य आदेश श्री गीता राम, ठेकेदार को निम्नलिखित दरों पर दिया गया :-

| | ठेकेदार को दिया गया दर | ठेकेदार द्वारा मांगा गया दर |
|---|---|---|
| ईंट | 340/ | 340/ |
| पत्थर | 75/ | 80/ |
| अन्य | 200/ | 250/ |
| मिटी कार्य | 200/ | 245/ |
| स्टील | 225/ | 300/ |
| आर0सी0सी0 | 200/ | 250/ |
| सटरिंग | 150/ | दर नहीं दी गई |

...11.

उपरलिखित कार्य मु050,00रू0 की लागत में पूरा हो गया। यदि निविदा में ठेकेदार द्वारा भरे हुई दरों का औचित्य नहीं था तो निविदाएँ पुन: क्यों नहीं कराई, स्पष्टीकरण लेखा अंकेक्षण को प्रस्तुत करें।

[5] वाउचर न0 28 दिनांक 3.5.89 मु017,462/-रू0 के लिए :

पार्क सड़क के सुधार कार्य से सम्बन्धित जो ~~मु३५८,८८८~~ मु050,156/-रू0 की लागत को पूरा हुआ ।

निमार्ण कार्य का ~~अनुमान्य~~ अनुमान मु040,000/- ~~मु040,000/-~~ के लिए स्वीकृत था। निविदा ~~मान्नण~~ आमन्त्रण सूचना दिखाई नहीं गई । निमार्ण कार्य आदेश श्री सहज राम को निम्नलिखित दरों पर दिया गया :-

| | ठेकेदार को दिया गया दर | ठेकेदार द्वारा मांगा गया दर |
|---|---|---|
| आर०सी०सी० | 200% | 270% |
| पत्थर | 75% | 90% |
| ईंट | 350% | 370% |
| अन्य | 200% | 270% |
| स्टील | 225/- | 270% |

उपरलिखित दरें जो ठेकेदार ने निविदा में भरी थी यदि उनका औचित्य नहीं था तो पुन: निविदाएँ क्यों नहीं मांगी गई तथा स्वीकृत अनुमान लागत मु040,000/-रू0 के विरुद्ध मु050,156रू0 जो खर्च किए है उनका स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें ।

[6] वाउचर न0 37 दिनांक 5.5.89 मु09875/-रू0 के लिए संग्रहालय में केन्टीन का निर्माण, बच्चों के पार्क के पास:

इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत मु050,00रू0 थी तथा कार्य मु045,022 रू0 में सम्पन्न हुआ । निविदा आमन्त्रण सूचना नहीं प्रस्तुत की गई । श्री कर्म चन्द को कार्य आदेश दिया गया । कार्य आदेश में ठेकेदार द्वारा निविदा में भरी हुई दरों से कम दरों पर दिया गया जो इस प्रकार है :-

| | ठेकेदार को दिया गया दर | ठेकेदार द्वारा मांगा गया दर |
|---|---|---|
| ईंट | 69% | 69% |
| पत्थर | 43% | 43% |
| आर०सी०सी०/ स्टील | ~~165%~~ 105% | ~~53%~~ 55% |
| सटरिंग | 50% | 50% |

ठेकेदार ने बिना किसी आपत्ति के कार्य करना स्वीकार कर लिया था जबकि जो दरें दी गई वे उसके द्वारा निविदा में भरी हुई दरों से बहुत कम है इसका स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें ।

[7] वाउचर न0 38 दिनांक 5.5.89 मु024909/-रू0 के लिए जो संग्रहालय की पहली मंजिल के निमार्ण कार्यकेबिल के भुगतान से सम्बन्धित है :

उपरोक्त मद संख्या 6 के अन्तर्गत किए गए व्यय के ~~अतिरिक्त~~ अतिरिक्त 24909/-रू0 का व्यय संग्रहालय के निर्माण पर किया गया इससे जाहिर होता है कि संग्रहालय के

....12..

निर्माण कार्य को छोटे-2 कार्यों में विभाजित किया गया था जिससे उच्चाधिकारियों की स्वीकृति से बचा जा सके समस्त निर्माण कार्य को एक मद मानते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए ।

{8} वाउचर न0 58 दिनांक 23.5.89 मु017,445रू0 के लिए जो सड़क तथा नाले की मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित है जो बसाई घर के नजदीक है ।

इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत मु022,000रू0 थी जबकि इसके विरूद्ध मु031,793 रू0 खर्च किए गए निविदा आमन्त्रण सूचना नहीं दिखाई गई । निविदाएँ दिनांक 28.3.89 को खोली गईं जो नियमों के विरूद्ध है क्योंकि निविदाएँ मंगाने और खोले के बीच में सात दिन का अन्तर आवश्यक था । श्री राजेश कुमार, ठेकेदार की दरें निम्न प्रकार से स्वीकृत की गईं :-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ईंट | 70% | उपर जबकि भरी हुई दर | 90% | थी |
| पत्थर | 15% | -यथोपरि- | 15% | " |
| आरसीसी/स्टील | 65% | -यथोपरि- | 80% | " |
| तदरिंग | 50% | -यथोपरि- | 50% | " |
| सीसी | 35% | -यथोपरि- | 80% | " |
| लकड़ी | 75% | -यथोपरि- | 90% | " |
| अन्य | 35% | -यथोपरि- | 50% | " |

इससे प्रतीत होता है कि ठेकेदार बिना किसी [illegible] से निविदा में भरी हुई दरों से बहुत कम दरों पर कार्य करने को राजी हुआ और रेट अपनी मर्जी से निर्धारित किए जाते हैं । दरों में न्यूनता या बढोतरी करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया ।

{9} वाउचर न0 60 दिनांक 24.5.89 मु016,327/- के लिए जो जी0आई0 पाईप "बी" क्लास एक इंच की सप्लाई बारे था ।

स्वीकृत अनुमान दिनांक 9.2.89 मु08464/-रू0 के लिए पाईपों के सप्लाई के लिए बनाया गया जबकि मु016,327रू0 खर्च कर दिए गए । स्वीकृत अनुमान का अनुपालन न करने का स्पष्टीकरण अंकेक्षण को दें ।

{10} वाउचर न0 130 दिनांक 26.8.89 मु0 26,250/-रू0 के लिए जो वन विभाग की तरफ जा रही सड़क को पक्का करने से सम्बन्धित था ।

उपरलिखित निर्माण कार्य का स्वीकृत अनुमान मु050,000/-रू0 था । निविदाएँ दिनांक 1.2.88 को खोली गईं परन्तु गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक 19.2.88 को किए गए थे जो संभव नहीं है इस गल्ती का स्पष्टीकरण दें श्री सहजराम ठेकेदार को कार्य आदेश उसके द्वारा भरी हुई दरों से भी कम दरों पर जारी किया गया । इसकी नगरपालिका प्राधिकारी जांच पड़ताल करें तथा अंकेक्षण को भी इससे अवगत कराएं ।

इसी तरह वाउचर न0 131 दिनांक 22.8.88 जो मु018,900रू0 के



Scanned with OKEN Scanner

लिए था में भी निविदाऐं दिनांक 1.2.88 को खोली गई लेकिन उन पर गवाहों के हस्ताक्षर दिनांक 22.2.88 के थे जिसकी भी जांच पड़ताल करें ।

[11] वाउचर न0 121 दिनांक 4.9.89 मु014,418/- के लिए जो चिल्ड्रन पार्क के सुधार कार्य से सम्बन्धित था।

इस निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत अनुमान मु014,000रू0 था परन्तु इसके विरुद्ध मु033,279/- रू0 का खर्च कर दिया । इस वित्तीय अनियमितता को स्पष्ट करें ।

[12] लिली रोड़ की मुरम्मत बारे :-

इस कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत मु011,000रू0 थी जबकि खर्च मु013,297/-रू0 किया गया । इस अनियमितता को स्पष्ट करें ।

[13] सड़क का सुधार जो एन0सी0सी0 कार्यालय के नजदीक है :-

इस कार्य की स्वीकृत अनुमानित लागत मु016,000/-रू0 थी जबकि खर्च मु026,286/-रू0 किया गया इस अनियमितता को स्पष्ट करें ।

[14] छोटो मैदान की पौड़ियों को पूना तथा डिस्टेम्परिंग करने का कार्य इस कार्य के लिए मु0500/-रू0 का अनुमान स्वीकृत था खर्च मु01150/-रू0 किए । इस अनियमितता को स्पष्ट करें ।

[15] वाउचर न 0 184 दि नांक 19.12.89 मु09,535/-रू0 के लिए जो संग्रहालय वाले मार्ग के सुधार कार्य से सम्बन्धित है ।

इस कार्य के लिए मु017,000रू0 का अनुमान स्वीकृत किया गया जबकि खर्च मु022,756/-रू0 किया गया स्वीकृत अनुमान से अधिक खर्च को स्पष्ट करें ।

[16] वाउचर न0 271 दिनांक 31.3.90 मु024,19 रू0 के लिए जो वन विभाग की ओर जाती हुई सड़क पर तारकोल बिछाने के कार्य के तीसरे तथा अन्तिम बिल के भुगतान से सम्बन्धित है :

निविदा आमन्त्रण सूचना नहीं दिखाई गई । निविदा फार्म दिनांक 17.12.88 को बेचे गए जिनमें नगरपालिका अभियन्ता के हस्ताक्षर है । निविदा खोलने वाले अधिकारी ने निविदाऐं खोलने पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए । निविदाऐं देने की अंतिम तिथी भी 17.12.88 ही थी तुलनात्मक विवरणी भी 17.12.88 को तैयार की गई तथा कार्य आदेश भी 17.12.88 को श्री सवब राम को जारी किया इससे यह प्रतीत होता है कि निविदाओं में दरें अधिकारी के सामने ही भरी हुई है तथा निविदाऐं आमन्त्रण के नियमों का भी कड़ाई से पालन नहीं किया जाता । इसका स्पष्टीकरण अंकेक्षण को दें कि निविदाऐं आमंत्रित करने के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता विशेषत: जब कार्य की लागत बहुत ज्यादा हो इसमें कार्य की लागत मु048,924/-रू0 थी ।

[17] एम0स0 बिल्डिंग की मुरम्मत तथा फिनिशिंग का कार्य के अंतिम बिल के भुगतान हेतु ।



Scanned with OKEN Scanner

123

निविदा आमन्त्रण सूचना समर्थ प्राधिकारी की स्वीकृति इत्यादि अंकेक्षण में नहीं प्रस्तुत की गई । कार्य की लागत मु0 10,246/- रू0 थी सम्बन्धित रिकार्ड अगले अंकेक्षण के समय दिखाएँ ।

§18§ वाउचर न0 260 दिनांक 30.3.90 मु0 25,501/- के लिए कार्यरत महिला आवास की मुरम्मत का कार्य ।

इस कार्य की लागत का अनुमान जो मु0 15,000/- के लिए है की स्वीकृत नहीं किया है तथा निविदाएँ खोलने वाले अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर निविदायों पर नहीं किए हैं बिना स्वीकृत अनुमान के कार्य पर हुए खर्च का स्पष्टीकरण दें ।

§19§ वाउचर न0 266 दिनांक 31.3.90 मु0 7,153/- रू0 के लिए जो स्टालों के मुरम्मत तथा छतों को लगाने से सम्बन्धित था ।

इस कार्य को मु0 6000 रू0 में पूर्ण किया जिसके लिए समर्थ प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गई । इस खर्च का स्पष्टीकरण दें ।

§20§ वाउचर न0 267 दिनांक 31.3.90 जो मु0 1386/- रू0 के लिए है तथा दवा घर की मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित है ।

इस कार्य को बिना अनुमान के करवाया गया जिसका स्पष्टीकरण अंकेक्षण को दें ।

§21§ वाउचर न0 268 दिनांक 30.3.90 मु0 12,919 के लिए । जो मोहन नगर में नाला तथा नाली के निर्माण कार्य के सम्बन्धित है ।

इस कार्य को बिना अनुमान की स्वीकृति के करवाया गया जिसकी लागत मु0 33,750/- रू0 थी स्पष्टीकरण दें ।

§22§ कार्यालय भवन में मार्बल चिप्स की फिनिशिंग का कार्य ।

माप बुक न0 125 §पृष्ठ-38-39§ दिनांक 2.11.88 में कार्यालय भवन के फर्श में मार्बल का माप दिखाया गया जिसकी लागत मु0 13,815/- रू0 है। इस कार्य की बिल्कुल जरूरत नहीं थी तथा इसको टाला भी जा सकता था । एक तरफ तो नगरपालिका समिति को वित्तीय संकट आया हुआ था तथा स्टाफ को वेतन देने की भी मुश्किल थी तथा दूसरी तरफ इस तरह का खर्च करना उचित नहीं लगता ।

इसी तरह माप किताब न0 119 §पृष्ठ-91-93§ तथा माप किताब 129 §पृष्ठ-14-15§ में मु0 33,279/- रू0 का खर्चा दिनांक 4.9.89 को चिल्ड्रन पार्क के सुधार पर खर्च किया जिसका स्वीकृत अनुमान केवल मु0 14,000/- रू0 था पुन: दिनांक 19.12.89 का भी माप किताब 129 §पृष्ठ 26-31§ में मु0 22,756/- रू0 का खर्चा संग्रहालय के नजदीक मार्ग के सुधार कार्य पर खर्च किया । यदि साइट पर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी जिसका सुधार किया जाए जबकि संग्रहालय भी चिल्ड्रन पार्क में स्थित है ।

इससे यह पता चलता है कि जो कार्य ऊपर दिखाए गए हैं उनका अनुमान बिना साइट का वर्णन किए हुए ही बनाए गए है जिससे किसी को इसका पता

न को कि कार्य किस स्थान पर हुआ है । प्राधिकारी को इन मामलों की जांच पड़ताल करनी चाहिए तथा अंकेक्षण को इससे अवगत करायें ।

6. **आय:**

**आय लाईसेंस शुल्क :-**

6 [ए] आय लाईसेंस शुल्क का रिकार्ड पूरा नहीं रखा गया तथा जो भी रखा गया उससे यह पता नहीं चलता कि लाईसेंस होल्डर ने अपना लाईसेंस नया करवा लिया है या नहीं यदि कोई लाईसेंस होल्डर स्वयं अपना लाईसेंस नया करवा लें तो ठीक है । समिति की तरफ से लाईसेंस नया करवाने के लिए कोई पत्राचार/कार्यवाही नहीं किया जाता/जाती ।

इसके बारे अंकेक्षण यह राय देता है कि लाईसेंस रजिस्टर में इस तरह की टिप्पणी जरूर होनी चाहिए कि लाईसेंस होल्डर ने लाईसेंस/शुल्क की हानि न हो ।

6 [बी] :- लाईसेंस शुल्क को एकत्रित करके एक सामान्य रसीद बुक प्रयोग में की जाती है जो अन्य आय को भी एकत्रित करने में प्रयोग की जाती है जिसमें यह मुश्किल होती है कि यदि एक ही तरह की आय के बारे में मालुम करना हो तो मुश्किल होता है । इस लिए भविष्य में लाईसेंस शुल्क की आय की गणना हेतु उचित प्रक्रिया अपनाई जाए ।

6 [सी] **हाथ-गाड़ी लाईसेंस [हैंड-कार्ट लाईसेंस] :**

नगरपालिका उपनियमों के अनुसार हाथ गाड़ी की लाईसेंस शुल्क इस प्रकार से है :-

[ए] चार पहियों वाली हाथ गाड़ी मु0 15/-रू0 प्रति माह
[बी] दो या तीन पहियों " " मु0 12/- " "

परन्तु यह देखने में आया है कि शुल्क उपरलिखित दरों से न लेकर मु02/-रू0 प्रति माह के हिसाब से वसूल हो रहा है जिससे समिति को मु13/-रू0 प्रति माह प्रत्येक लाईसेंस होल्डर से नुकसान हो रहा है जबकि वर्ष 1988-89 में इस तरह के लाईसेंसों की संख्या नौ है । इस तरह कम की गई वसूली पिछले वर्षों सहित अब वसूल की जाए तथा इसकी सत्यापना आगामी अंकेक्षण में करवा ली जाए ।

[डी] समिति के अभिलेखों से यह पता चलता है कि पहियों वाली गाड़ियां बहुत भीड़ वाले इलाकों में है और उनकी आय हजारों में है । इसके लिए अंकेक्षण यह सुझाव देता है कि पहियों वाली गाड़ियों की फीस कम से कम महीनें की मु0 100रू0 होनी चाहिए जिससे समिति की आय में वृद्धि हो ।

6 [ई] यह भी पाया गया है कि कमेटी को तहबाजारी की कोई आय नहीं है जिसे कमेटी की भूमि को व्यवसाय के उद्देश्य के बदले प्राप्त किया जाता है कमेटी को ऐसी आय को प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए । इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिये कि कैसी जगह 2 शहर में खाली दुकानें लग रही हैं ।

125

6 [एफ] निम्नलिखित मामलों में लाईसैंस की नवीनीकरण फीस या तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं की है या कम शुल्क प्राप्त किया है जिसे अब एकत्रित करें। तथा अंकेक्षण को दिखाएं।

| रजिस्टर का क्रमांक | पार्टी का नाम | रसीद संख्या | कम/न उगाही की हुई आय |
|---|---|---|---|
| 261 | रूप लाल हाथ गाड़ी की आय | 27/49 | 10/-रू0 |
| 262 | जय पाल " " " " | 27/50 | 10/-रू0 |
| 263 | सुख देव " " " " | 27/53 | 10/-रू0 |
| 264 | सदानंद " " " " | 27/47 | 10/-रू0 |
| 265 | प्रकाशचन्द " " " | 27/48 | 10/-रू0 |
| 266 | राम कृष्ण " " " | 27/61 | 10/-रू0 |
| 267 | परस राम " " " | 27/60 | 10/-रू0 |
| 269 | दया नंद " " " | 27/72 | 10/-रू0 |
| 283 | देस राज " " " | 27/55 | 10/-रू0 |
| 284 | ज्ञान चन्द " " " | 27/54 | 10/-रू0 |
| 286 | राम पाल " " " | 27/51 | 10/-रू0 |
| 302 | रामा नंद " " " | 27/69 | 10/-रू0 |

6. [जी] रसीद न0 27/52 दिनांक 2.5.88:

आय लाईसैंस नवीकरण फीस जो मु010/-रू0 थी श्री राम लाल शर्मा से प्राप्त नहीं हुई जिसे अब प्राप्त करें तथा आगामी अंकेक्षण को दिखाएं।

6 [एच] रसीद न0 51/28 दिनांक 29.11.88 :

इस राशि के द्वारा श्री दीपक भसीन से जो भसीन प्रोविजन स्टोर का मालिक है से मु025/-रू0 बाबत कम्पोजिशन फीस प्राप्त किए जबकि मु070/-रू0 प्राप्त करने थे। मु045/- जो कम प्राप्त हुए अब प्राप्त करें तथा आगामी अंकेक्षण में दिखाएं।

7. [ए] बस ठहराव सोलन के शौचालय की आय:-

बस अडा, सोलन शौचालय की वर्ष 1988-89 की आय मु017,400रू0 थी जबकि उस पर खर्च मु040,000रू0 हुआ मु040,000रू0 दो स्वीपरों का वेतन जो समिति के कर्मचारी है तथा शौचालय में प्रयोग किया गए सामान की लागत सम्मिलित है। दोनों स्वीपरों ने समिति के साथ अनुबन्ध किया था कि वे रोजना 50/-रू0 जमा करवायेंगें। समिति के अभिलेखों से यह पता चलता है कि समिति को और भी स्वीपरों के आवेदन आये थे जो समिति के कर्मचारी नहीं थे और उन शर्तों पर काम करने को राजी थे जिन पर समिति के स्वीपरों ने काम किया है यदि इस शौचालय का कार्य इन स्वीपरों को जो समिति के कर्मचारी नहीं थे को दिया होता तो समिति मु040,000रू0 के खर्च को बच सकती थी। समिति प्राधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल करें तथा स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण के समय दें।

....17....

7(बी) दिनांक 26.11.89 से 29.11.89 तक तथा 11.12.89 से 12.12.89 तक में आय मु0 50/-रू0 प्रत्येक दिन बही में कम जमा करवाई गई । इसलिए अब मु0 300/-रू0 वसूल कर्ता से प्राप्त करके नगरपालिका फण्ड में जमा करवाएँ तथा आगामी अंकेक्षण में पुष्टि करवाएँ ।

7(सी) पालतु पशुओं के लिए लाईसेंस:

यह देखने में आया है कि शहर में पालतु पशु बिना लाईसेंस के रखे हुए हैं जो शहर में उत्पात पैदा करते हैं इसके अतिरिक्त ऐसे पशुओं को लाईसेंस देने की समिति में कोई व्यवस्था नहीं है जिसे अब शुरू करें जिससे समिति की आय भी बढ़ेगी तथा शहर में इन पशुओं द्वारा पैदा हुआ उत्पात भी कम हो जाएगा ।

8.(ए) कसाईखाने से आमदनी :-

कसाईखाने से आमदनी वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमशः मु0 2451रू0 तथा मु0 1893/-रू0 हुई जो बाबत मु0 एक रू0 प्रति जीव काटने की दर से थी । इससे स्पष्ट है औसत प्रति दिन वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमशः मु0 6.71रू0 तथा मु0 5.18रू0 आय है सोलन शहर काफी घनी आबादी वाला शहर है तथा इससे प्रतीत होता है कि हुई आय को ठीक तरह से एकत्रित नहीं किया जाता अथवा कम किया जाता है जबकि आठ मीट की दुकानों को लाईसेंस दे रखे हैं समिति प्राधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल करें तथा अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत कराएँ ।

8.(बी) निम्नलिखित आय एकत्रित हुई है परन्तु नगरपालिका फण्ड में जमा नहीं करवाई गई जिसे अब जमा करवाएँ तथा आगामी अंकेक्षण से उसके जमा होने की पुष्टि करवाएँ ।

रसीद न0 1059 दिनांक 1.9.88 जो मु02/-के लिए है ।
" " 7 बुक न0(1) " " 1/- " " "
" " 16 " "(1) " " 2/- " " "
" " 65 " "(2) " " 1/- " " "

9. पानी की आय:- दिनांक 31.3.90 तक पानी की आय का बकाया मु0 34,167.67रू0 है जिसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करें ।

9.(ए) समिति के अभिलेखों से यह पाया गया कि कुछ ऐसे पानी के मीटर लगाए गए हैं जिनको उपभोक्ता खाता बही में दर्ज नहीं किया गया इस तरह के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं । इस तरह के पानी के मीटरों का अभी तक कोई बिल भी नहीं दिया गया । इस तरह की पानी की आय की लीकेज को समिति प्राधिकारी छानबीन करें तथा अंकेक्षण को सही स्थिति से अवगत कराएँ ।

(1) समिति के अभिलेखों से यह पता चला कि वार्ड न09 में नागरमल के मकान में दो पानी के मीटर लगाए हुए हैं जबकि बिल सिर्फ एक पानी के मीटर का दिया जाता है । दूसरे मीटर की कुनेक्शन फीस भी प्राप्त नहीं की गई है जो मु05/-रू0 है तथा 4/5 सालों से पानी की बिल की आय लगभग मु0600/-रू0

....18...

127

तक हो गई है। इसकी छानबीन की जाए तथा अंकेक्षण को सही स्थिति से अवगत करवाएं।

(2) वार्ड न0 13 में श्री हरि सिंह के मकान में पानी का मीटर न0 175928। बिना किसी कुनेक्शन फीस प्राप्त किए से लगाया गया तथा अभी तक कोई पानी का बिल जारी नहीं किया गया। इस बात की छानबीन की जाय कि यह मीटर कब लगाया गया तथा जबसे वह लगाया गया उस दिन से पानी का बकाया तथा कुनेक्शन फीस भी प्राप्त करें तथा आगामी अंकेक्षण को दिखाएं।

(3) इसी तरह अपर बाजार, सोलन में श्री ओम प्रकाश के मकान में पानी का मीटर न0 311329 कुछ वर्ष पहले लगाया गया बिना किसी कुनेक्शन फीस जमा करवाए अभी तक कोई पानी का बिल भी जारी नहीं किया गया जो लगभग मु0 500/-रु0 के लिए है जिसे अब एकत्रित करें तथा आगामी अंकेक्षण को दिखाएं।

(4) इसी तरह श्री चन्द्र भूषण के मकान में जो राजगढ़ रोड पर स्थित है बिना किसी कुनेक्शन फीस के भीतर लगाया गया तथा अभी तक कोई पानी का बिल भी जारी नहीं किया गया। इसमें आवश्यक कार्यवाही करें तथा बकाया को भी प्राप्त करें।

(5) उपरलिखित मामलों के अतिरिक्त और भी इसी तरह के मामले हैं जिनमें पानी का मीटर तो लगा दिया परन्तु कोई कुनेक्शन फीस प्राप्त नहीं की तथा पानी का बिल भी अभी तक जारी नहीं किया :-

1. श्री मदन लाल गुप्ता, मधुबन कलोनी, सोलन। 2. श्री साधु सिंह कोहली, वार्ड न004.
3. श्री ठाकुर सेन नेगी, वार्ड न0 4.
4. श्री भूषण भारद्वाज, नजदीक समरहिल, वार्ड न004.
5. श्री अनूप सिंह मेहता, नजदीक हायर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड न0 11.

9. (बी) पानी के कुनेक्शन की सिक्योरिटी समिति द्वारा मु05/-रु0 के हिसाब से ली जाती है जो काफी नहीं है जबकि घर की पानी की खपत का बिल औसतन 15/-रु0 से 20/-रु0 तक आता है तथा होटलों की पानी की खपत मु0 150रु0 से 200रु0 तक आती है। यदि कोई उपभोक्ता एक या दो महीने तक पानी के बिल का भुगतान नहीं होता और मकान छोड़ कर चला जाए तो पानी के बिल की उगाही सिक्योरिटी से पूरी नहीं हो सकती इसलिए पानी के कुनेक्शन की सिक्योरिटी कम से कम मु0 100रु0 होनी चाहिए।

9(सी) यह देखने में आया है कि जो उपभोक्ता कई-2 महीनों तक पानी के बिलों का भुगतान नहीं करता उसकी तथा पानी की सप्लाई बंद नहीं की जाती जिसके लिए प्राधिकारियों से निवेदन है कि वे इस मामलों की छानबीन करें।

9.(डी) यह देखा गया है कि बहुत से निर्माण कार्यों में पानी पड़ोस में लगे हुए पानी के मीटरों से लिया जाता है जो घरेलू खपत के लिए लगाए जाते हैं। निर्माण के लिए अलग से कुनेक्शन नहीं लिया जाता जिससे समिति को आय का नुकसान होता है। पालिका यह सुनिश्चित करें कि निर्माण हेतु अलग पानी का कुनेक्शन देने की व्यवस्था की जाए तथा व्यवसायिक दर पर जल उपभोग की दरें भी निर्धारित की जाए।

लगातार....19....

10. **स्टालों के किराये से आय :-** समिति के भवनों में बने हुए स्टालों के किराये की बकाया राशि दिनांक 31-3-90 को मु0 1,82,466·03 रू0 थी जिसकी जल्दी से जल्दी उगाही करें। इनमें निम्नलिखित अनियमिततायें भी पाई गई

10(ए) स्टालों के रजिस्टर में क्रमांक 2 में दुकान नं0 2 जो मेसर्स जगदीश कृष्ण ने मु0 630/-रू0 महीने के हिसाब से 3/88 तक ले रखी थी दिनांक 1·4·88 तक किराये की बकाया राशि मु0 1260/-रू0 थी। दिनांक 1-4-88 से दुकान को खाली दिखाया गया तथा इसे अन्य व्यक्ति को उसी किराये पर चढ़ा दिया था व्यक्ति का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा था। रजिस्टर में 1-4-88 के बाद किराये की कोई प्राप्ति नहीं दिखाई गई। दिनांक 1-4-88 से 31-3-89 की कुल आय मु0 7560/-रूपये मु0 630/-रू0 प्रति महीने की दर से की उगाही की जाए तथा इसे आगामी अंकेक्षण के समय दिखायें।

10(बी) स्टाल नं0 3 और 4 भी बाया बिड क्रमश: मु0 580/-रू0 तथा 655/-रू0 के हिसाब से प्रति महीने की दर से किराये पर दिए हुए हैं। स्टाल नं0 3 दिनांक 31-7-88 को खाली दिखाया गया तथा 30-8-88 को दोबारा श्री शांती स्वरूप को मु0 230/-रू0 प्रति महीने के हिसाब के किराए पर दे दिया गया 1-11-88 को इसका कब्जा दे दिया। इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

नीलामी कागज़ से यह पता लगता है कि स्टाल नं0 3 का किराया सरकारी किराया मु0 300/- प्रति महीना है जबकि उसको मु0 230/-प्रति ~~महीने~~ महीने की दर से नीलाम किया गया जो बहुत कम है उसका स्पष्टीकरण दें।

10(सी) इसी तरह स्टाल नं0 158 भी जिसका क्षेत्रफल स्टाल नं0 3 के बराबर है तथा उसी स्थान पर है मु0 275/- रू0 पर किराए पर दिया है जबकि सरकारी दर मु0 500/-रूप्रति माह निर्धारित है।

10(डी) उपरलिखित मामलों के अतिरिक्त नीचे लिखे मामलों में भी नीलामी सरकारी बोली से कम दरों पर की गई जो इस प्रकार से है :-

| नीलामी की तिथि | दुकान नं0 | स्थान | ~~[illegible]~~ आरक्षित कीमत | नीलामी की कीमत |
|---|---|---|---|---|
| | | | रू0 | रू0 |
| 10-1-89 | 5 | सरकुलर रोड पर | 500/- | 460/- |
| 10-1-89 | 6 | यथोपरि | 500/- | 455/- |
| 30-8-88 | 158 | मलोगरा | 500/- | 275/- |
| 25-3-88 | 7 | यथोपरि | 800/- | 600/- |
| 15-3-88 | ऊपर स्टाल, चम्बाघाट | | 500/- | 250/- |
| 15-3-88 | पुरानी कचहरी रोड(स्टाल) | | 500/- | 275/- |

नीलामी के कई अन्य मामलों में जहाँ नीलामी आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर लगाई गई रद्द कर दिए गए जैसे सलोगड़ा में स्टाल नं० 6 तथा 7 जो 15-3-88 को नीलाम किए गए जिनकी नीलामी क्रमशः मु० 230रु० तथा मु० 225/-रु० थी परन्तु आरक्षित मूल्य मु० 500रु० था । इससे यह संकेत मिलता है कि नीलामी में स्टालों के किराए स्वेच्छिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं समिति के प्राधिकारियों से निवेदन है कि वे इस प्रकार के मामलों की जाँच करें तथा जाँच के परिणामों से यथासम्भव अवगत कराएँ ।

10(ई) स्टालों को पट्टे पर देने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं :-

1. कि पट्टेधारी महीने की 10 तारीख से पहले अग्रिम लगान का भुगतान करेगा ।
2. यदि पट्टेधारी 6 महीने तक किराये का भुगतान नहीं करता तो लेसर (Lessor) को अधिकार है कि वह पट्टा रद्द कर सकता है ।
3. यदि पट्टेधारी पट्टेनामे की किसी शर्तों का उल्लंघन करता है तो नगरपालिका समिति को यह अधिकार होगा कि वह सिक्योरिटी को जब्त कर लेगा ।

लेकिन देखने में यह आया है कि उपरलिखित शर्तों के बावजूद भी दिनांक 1-4-90 तक लगान की काफी राशि बकाया पड़ी है जो मु० 1,82,466.03 रु० है । इसमें ऐसे भी उपभोगता हैं जिन्होंने कई वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया था । प्राधिकारी इन मामलों की जाँच पड़ताल करें तथा अंकेक्षण को इससे अवगत कराएँ । नियमानुसार समय पर वसूलियां न करने का दायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए ।

11. <u>सफाई कर</u> :- नगरपालिका समिति की आय का मुख्य भाग सफाई कर है जो मकान की लगान मूल्य का 5/-प्रति सदी होता है सफाई कर की दिनांक 31-3-90 को मु० 3,09,802/31 रुपये बकाया वसूली राशि थी । बकाया राशि को वसूल करने के लिए कड़े प्रयत्न किए जाएँ ।

12. <u>पार्किंग शुल्क</u> :- समिति के अधिनियमों के अधीन पार्किंग शुल्क रसीद बुक में छपे हुए हैं जो इस प्रकार से हैं :-

पार्किंग शुल्क की दरें

दा

पार्किंग शुल्क बस अड्डे पर :-

यात्री बसों के लिए मु0 2 रू0 प्रति बस
ट्रकों के लिए मु0 2/-रू0 प्रति ट्रक
कार/जीप के लिए मु0 50 पैसे प्रति कार/जीप

बस अड्डे के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर :-
बसे के लिए मु0 2/-रू0 12 घंटे के लिए
ट्रक के लिए मु0 4/-रू0 12 घंटे के लिए
कार/जीप के लिए मु0.50+1/- 12 घंटे के लिऐ

लेकिन देखने में आया है कि यात्री बसों को छोड़ कर जो बस अड्डे सोलन पर पार्क हुई थी किसी अन्य स्थान पर पारकिंग शुल्क प्राप्त नहीं हुआ समिति के उच्च पाधिकारी इस तरह के मामलों की छानबीन करें और अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

13. आय की गलत बुकिंग करना :- मु0 74-25रू0 दिनांक 31-5-89 को पानी कर के वसूल हुए जिन्हें सफाई कर में जमा कर दिया इसको ठीक करें।

(बी) इसी तरह दिनांक 14-9-89 को मु0 230/-रूपये सफाई कर के वसूल हुए जिन्हें भवन लगान शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवा दिए गए गलती को ठीक करें।

14. आराम गृह : (1) चालान नं0 549 दिनांक 5-2-90 के द्वारा आराम गृह की आमदनी जो मु0 1330.00थी जमा करवाई गई थी जबकि सही आय मु0 1570/-रू0 थी। मु0 240/-रू0 जो कम जमा करवाई गई थी दिनांक 16-5-90 को अंकेक्षण के कहने पर रसीद नं0 80/34 के द्वारा नगरपालिका फन्ड में जमा करवाई गई।

2. आराम गृह का रजिस्टर सही ढंग से नहीं भरा गया इसका पता नीचे लिखी प्रविष्टयों से चलता है :-

(ए) दिनांक 13-4-89 को श्री आई.एस. रिंगला ने अपना पहुचने का समय 8-40 सांय भरा हुआ था तथा इसके बाद की प्रविष्ट दिनांक 9-4-89 की श्री एन.पी. चौहान की भरी हुई थी जिसने पहुंचने का समय सुबह 11 बजे भरा था।

(बी) इसी तरह दिनांक 25-4-89 को सचिव लोक सेवा आयोग ने प्रविष्ट की तथा पहुंचने का समय सांय 7 बजे भरा था तथा इसके बाद

131

दा

दिनांक 24•4•89 (सांय 6 बजे) से प्रविष्टि थी । जो गलत है ।

(सी) दिनांक 22•5•89 को श्री बी0जी0 खासी ने पहुंचने का समय सांय 8बजे भरा तथा उसके बाद दिनांक 20•5•89 की प्रविष्टि थी । जो गलत है ।

(डी) श्री ए•के• शर्मा ने दिनांक 19•6•89 को अपने पहुंचने का समय सांय 6बजे भरा तथा उसके बाद दिनांक 16•6•89 की प्रविष्टि भरी थी जो बिल्कुल गलत है ।

(ई) दिनांक 28•6•89 को श्री एस0डी0 गांधी ने अपना पहुंचने का समय सांय 6 बजे भरा उसके बाद दिनांक 10•6•89 की प्रविष्टि थी ।

(एफ) इसी तरह दिनांक 15•7•89 को श्री यू0आर0 रिजी के पहुंचने की प्रविष्टि थी तथा इसके बाद दिनांक 5•7•89 की प्रविष्टि थी थी जो श्री बी0डी0कुम्भानी के पहुंचने पर भरी थी जो बिल्कुल गलत थी।

उपरलिखित उदाहरणों से यह पता चलता है कि आराम गृह रजिस्टर अपनी मर्जी से भरा जाता है जिससे आराम गृह की आय का दुर्विनियोग होता है । उच्च प्राधिकारी इसकी छानबीन करें ।

15• भुगतान:

स्थापना:

15(ए) श्री प्रेम सिंह, चौकीदार को फरवरी 1988 से नसबन्दी ऑपरेशन की एक प्रोत्साहन वेतन वृद्धि का भुगतान किया जबकि कर्मचारी ने नसबन्दी आप्रेशन वर्ष 1980 में कराया था जबकि उस साल इस तरह की वेतन वृद्धि कोई प्रावधान नहीं था । इसलिए इस वेतन की वृद्धि के भुगतान को जो फरवरी, 1988 से दिया गया उसकी वसूली करें तथा आगामी अंकेक्षण को दिखाएं ।

15(बी) वाउचर न0 218 आफ 11/88 जो मु0 617/-रू0 के लिए:

श्री सुख राम के मेडिकल दावा में जो मु0 43•50 रू0 के लिए था । मु0 4रू0 की एक दवाई की प्रतिपूर्ति नहीं होनी थी परन्तु उसका भी भुगतान कर दिया गया जिसे अब वसूल करें तथा आगामी अंकेक्षण के समय इसकी वसूली दिखाएं ।

15(सी) वाउचर न0 337 दिनांक 1•3•89:

(i) इस वाउचर के द्वारा श्रीमती दमयन्ती को मु012,889/-रू0 223 दिन की लीव ऐनकैसमैंट का भुगतान किया । जब इसकी सर्विस बुक की जांच पड़ताल की तो पाया गया कि अवकाश केवल 220 दिन था । इस तरह मु0173/-रू0 3 दिन का अधिक भुगतान किया गया । जिसकी अब वसूली करें तथा आगामी अंकेक्षण के साथ इसको दिखाएं ।

लगातार•••23•••••

Scanned with OKEN Scanner

दा

2• वाउचर नं० 337 दिनांक 1-3-89 इस वाउचर के द्वारा श्रीमति पुरनी देवी की मृत्यु जो दिनांक 10-1-89 को हुई थी की ग्रेच्यूटी जो मु0 15,525/-रु0 25 वर्ष की अर्हता सर्विस की 17-9-63 से 10-1-89 तक का भुगतान किया । ग्रेच्युटी नियमों के अधीन 25 वर्ष अर्हता सर्विस की ग्रेच्युटी में $12\frac{1}{2}$-- महीनों का वेतन देय था जबकि इस मामले में $13\frac{1}{2}$-- महीनों का वेतन के बराबर ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया । इस तरह मु0 1150/-रु0 की ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान हुआ जो इस प्रकार से है :-

| ग्रेच्युटी का भुगतान | ग्रेच्युटी देय |
|---|---|
| मूल वेतन 1125/- | $1150 \times 12\frac{1}{2}$- = 14375 |
| विशेष वेतन 25/- | |
| $1150 \times 13\frac{1}{2}$- = 15,525 | |

अधिक भुगतान 15525-14375, 1150/-रु0 इस अधिक भुगतान की वसूली अंकेक्षण के कहने पर प्रोफीसेंसी वेतन वृद्धि के बकाया से कर ली गई ।

15(डी) दिनांक 1-1-86 से 30-9-89 तक का वेतनमानों के संशोधन की बकाया राशि का भुगतान ।

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अधीन जो उनके द्वारा फिन(सी) डी(7) 6/88 दिनांक 7-11-88 में जारी किए गये थे यह निर्देश था कि विशेष वेतन को नए वेतनमान निर्धारित करते समय इसे वर्तमान वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा परन्तु निम्नलिखित कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करते समय इसको भी जोड़ा गया जिससे नीचे दर्शाये गए अधिक बकाया का भुगतान हुआ जो इस प्रकार से है :-

| कर्मचारी का नाम | अधिक भुगतान बावत वेतन | बावत महगाई भत्ता | कुल |
|---|---|---|---|
| 1• श्री लाभ सिंह | 775/- | 126/- | 901/- रु0 |
| 2• श्री मति कविता | 585/- | 96/- | 681/- रु0 |
| 3• श्रीमति कमला | 555/- | 94/- | 649/- रु0 |
| 4• श्रीमति शंकुतला | 555/- | 94/- | 649/- रु0 |
| 5• श्री मनफूल | 555/- | 94/- | 649/- रु0 |
| 6• श्री गुरदयाल | 525/- | 92/- | 617/- रु0 |
| 7• श्री राज कुमार | 630/- | 96/- | 726/- रु0 |
| 8• श्री प्रितम | 630/- | 96/- | 726/- रु0 |
| 9• श्री सुरेश कुमार | 630/- | 96/- | 726/- |
| 10• श्री ओम प्रकाश | 630/- | 96/- | 726/- रु0 |
| 11• श्री ज्ञान चन्द | 525/- | 68/- | 593/-रु0 |

MR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री सोहन वीर | 555/- | 94/- | 649/- रू० |
| 13. | श्री गंगू राम | 555/- | 94/- | 649/- रू० |
| 14. | श्री राम कुमार | 555/- | 94/- | 649/- रू० |
| 15. | श्रीमति सुरेन्द्रा | 660/- | 96/- | 756/- रू० |
| 16. | श्रीमति शीला | 585/- | 96/- | 681/- रू० |
| 17. | श्री रणवीर | 585/- | 96/- | 681/- रू० |
| 18. | श्रीमति विमला | 585/- | 96/- | 681/- रू० |
| 19. | श्री अशोक कुमार | 585/- | 96/- | 681/- रू० |
| 20. | श्री शाम लाल | 585/- | 96/- | 681/- रू० |
| 21. | श्रीमति सोमती देवी | 585/- | 96/- | 681/- रू० |
| | | | | 14,432/- |

उपरलिखित वसूलियों को यथाशीघ्र किया जाए तथा इसका जमा आगामी अंकेक्षण को दिखाएं ।

15(ई) मार्च, 1989 का वेतन बिल जिसका भुगतान मार्च, 89 में हुआ ।

श्री ललित मोहन को विशेष वेतन पर मार्च, 89 तथा अप्रैल 89 में मंहगाई भत्ते का भी भुगतान किया गया इस तरह मु० 10/-रू० का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली की तथा आगामी अंकेक्षण को वसूली दिखाएं ।

16. वाउचर नं० 223 दिनांक 5-11-88 मु० 2020/-रू० के लिए

मैसर्ज पुरी इलैक्ट्रीकल्ज सोलन से बिजली का सामान बिल नं० 117 दिनांक 28-10-88 के द्वारा खरीदा गया तथा भुगतान मु० 1818रू० के लिए पास किया गया । इस पास आर्डर के विरूद्ध मु० 2020/-रू० का भुगतान किया गया था परिणामतः मु० 202/- रू० का अधिक भुगतान किया गया । जिसकी अब वसूली की जाए तथा अंकेक्षण को उसकी वसूली दिखाएं ।

17. गाड़ियों की लॉग बुक :-

17(क) नगरपालिका समिति के पास एक मिनी ट्रक तथा एक जीप है तथा ट्रक की औसत खपत इस प्रकार से है :-

| मास | डीजल की खपत | किलो मीटर चला | औसत प्रति लीटर |
|---|---|---|---|
| 7/88 | 162 लीटर | 672 | 4.14 |
| 8/88 | 182 | 804 | 4.41 |
| 9/88 | 151 | 936 | 6.19 |
| 10/88 | 117 | 912 | 7.79 |
| 11/88 | 282 | 1323 | 4.69 |
| 12/88 | 216 | 672 | 3.11 |
| 1/89 | 197 | 972 | 4.93 |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/89 | | | |
| 2/89 | 154 | 576 | 3.74 |
| 3/89 | 135 | 744 | 5.51 |

उपरलिखित से यह स्पष्ट है कि 10/88 औसत खपत 7.79 थी जबकि 12/88 में 3.11 थी जो बहुत ही कम है इससे यह पता चलता है कि डीजल का दुर्विनियोग किया गया । प्राधिकारी इस की जाँच पड़ताल करें ।

इसी तरह विभागीय जीप की औसत खपत में भी बहुत विविधता है जो इस प्रकार से है :-

| मास | पेट्रोल की खपत | किलोमीटर चली | औसत खपत |
|---|---|---|---|
| 4/88 | 137 लीटर | 1044 | 7.62 |
| 5/88 | 145 | 948 | 6.53 |
| 6/88 | 225 | 1663 | 7.39 |
| 7/88 | 127 | 1209 | 9.51 |
| 8/88 | 150 | 1093 | 7.28 |
| 9/88 | 134 | 1249 | 9.32 |
| 10/88 | 96 | 772 | 8.04 |
| 11/88 | 161 | 1487 | 9.23 |
| 12/88 | 68 | 857 | 12.60 |
| 1/89 | 70 | 531 | 7.58 |
| 2/89 | 57 | 352 | 6.17 |
| 3/89 | 35 | 348 | 9.94 |

उपरलिखित से यह स्पष्ट होता है कि जीप की पेट्रोल की खपत में काफी विविधता है 12/88 में औसत खपत 12.60 है तथा 2/89 में यह 6.17 थी जिससे प्रतीत होता है कि पेट्रोल का दुर्विनियोग किया जाता है । उच्च प्राधिकारी इसकी छानबीन करें तथा स्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराएँ ।

18. टेलीफोन :- कमेटी के अपने छः टेलीफोन लगे हैं जिनमें तीन टेलीफोनों में एस.टी.डी. लगी हुई हैं सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल विभागाध्यक्ष के पद तक ही एस०टी०डी० की सुविधा होनी चाहिए । राजकीय आदेशानुसार एस.टी.डी. की सुविधा को न काटे जाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा निर्देशों का शीघ्र पालन किया जाए ।

Scanned with OKEN Scanner

19• किराया का बकाया : अभिलेखों के अवलोकन से यह पता चलता है कि श्री प्रेम कुमार, ठेकेदार से मोहन पार्क में बने हुए भवन की बकाया किराया दा मु0 9825 रु0 है जो 12/88 से अब तक का है । इसको वसूल करने की पूरी कोशिश करें तथा वसूली आगामी अंकेक्षण के समय दिखाएँ ।

20• वाउचर नं0 146 दिनांक 16-9-88 मु0 566/-रु0 के लिए ।

मु0 300 रु0 का भुगतान बावत जीप की मुरम्मत हेतु चण्डीगढ़ में किया गया मैं जिसकी रसीद नहीं दिखाई गई जिसे अगले अंकेक्षण के समय दिखाएँ ।

21• वाउचर नं0 180 दिनांक 19-12-89 मु0 7156/-रु0 के लिए ।

§1§ मु0 ~~1490~~= 100 रु0 का खर्चा कलैंडरों की खरीद के लिए दिखाया गया जबकि 12 कलैण्डरों की खरीद की स्वीकृति ली गई जबकि केशमेमों में 15 कलैण्डर के हिसाब से 100/- बना लिया गया जो केवल 75/- बनता है अंकेक्षण की निम्न टिप्पणियों की ओर ध्यान दें :-

12 कलैण्डरों की स्वीकृति के विरूद्ध 15 कलैण्डर कैसे खरीदे गए ।

§बी§ मु0 75/- रु0 के विरूद्ध मु0 100 रु0 का खर्चा कैसे दिखाया गया ।

स्वीकृत 12 कलैण्डरों की मु0 5/- रु0 प्रति कलैण्डर के हिसाब से मु0 60/- रु0 ~~कमत~~ बनती है परिणामतः मु0 40/- रु0 का अधिक खर्चे की वसूली करें तथा आगामी अंकेक्षण के समय वसूली दिखाएँ ।

22• स्टॉक रजिस्टर:- बिजली विभाग द्वारा रखे गये स्टॉक रजिस्टर में पृ0 3 से यह पाया गया कि 700 नं0 बजाज की ट्यूब जो मैं बजाज इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड से खरीदी थी केवल 696 रु0 ट्यूब ही ठीक पाई गई तथा चार टूटी हुई पाई । ट्यूब की कीमत मु0 120/- रु0 प्रति ट्यूब है ।

इसी तरह इसी फर्म ने 250 वाट की सोडियम चोक तथा हैलोजन लेम्प §1000वाट के§ जिनकी कीमत मु0 5000रु0 थी एक साल की गारन्टी के साथ खरीदे जो एक साल के अन्दर ही खराब हो गए जिनको बदलवाने की कोई कोशिश नहीं की न ही टूटी हुई ट्यूबों की कीमत वापिस ली । इसलिए यह तो ~~बल्ब~~= बल्ब तथा चोकों/लैंपों को बदला जाए या इनकी कीमत वसूल की जाए । तथा इसी तरह ट्यूब की कीमत भी फर्म से वापिस ली जाए या दोषी कर्मचारी से उसकी वसूली की जाए तथा इसकी वसूली अगले अंकेक्षण में दिखाएँ ।

23• निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण को नहीं दिखायें गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दिखाएँ :-

Scanned with OKEN Scanner

1. वाऊचर न0 65 दिनांक 5/88 मु05145/-रु0 के लिए सम्बन्धित अभिलेख जैसे निविदा आमन्त्रण सूचना, निविदाएं अनुमान, स्वीकृति आदि ।
2. वाउचर न0 145 दिनांक 15.9.88 मु06175/-रु0 के लिए । सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिजली के सामान की खरीद के लिए चाहिए ।
3. गाड़ी न0 एच0 आई0पी0 1088 की लॉग बुक नहीं दिखाई गई ।
4. समिति की सभी गाड़ियों की मुरम्मत का रजिस्टर नहीं रखा गया जिससे गाड़ियों पर हुई खर्चे की शुद्धि को नहीं जांचा जा सकता । इन रजिस्टरों को अब रखा जाए तथा आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए ।

24. आपत्ति विवरणी :-

छोटी आपत्तियाँ मौके पर ही निपटायी गई तथा अलग से छोटी आपत्ति विवरणी जारी नहीं की गई ।

25. निष्कर्ष:-

लेखों को कड़ी पर्यवेक्षण तथा काफी सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
सहायक नियन्त्रक(लेखा परीक्षा)
स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश,
शिमला-171002.

21 JAN 1992

पृष्ठांकन संख्या: 5(4)/75-फिन(एल0एफ0)खण्ड-6, दिनांक, शिमला-2,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाई हेतु पृष्ठांकित है :-

1. सचिव नगरपालिका, सोलन, जिला सोलन(हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का सटिप्पणी उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2. सचिव(स्थानीय स्वशासन विभाग)हि0प्र0 सरकार, शिमला-171002.
3. निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.
4. जिलाधीश सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0.
5. श्री के0के0 मल्होत्रा, उप नियन्त्रक(लेखा परीक्षा) द्वारा... हि0प्र0 आवास निगम विहार, शिमला-171002.

उप निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचलप्रदेश, शिमला-2.

कार्यालय

....

137 परिशिष्ट (5)

अंकेक्षण शुल्क का विवरण (दिन की गणना अंकेक्षण दिवस अनुसार)

| तारीख | अंकेक्षकों की संख्या | दर | दिन | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 3-11-89 | 1 | 50 | ½ | 50 |
| 4-11-89 | 1 | " | 1 | 50 |
| 6-11-89 से [illegible]-11-89 | 1 | " | 5 | 250 |
| [illegible]-11-89 से [illegible]-11-89 | 1 | " | 4 | 200 |
| 20-11-89 | 1 | " | ½ | 50 |
| 21-11-89 | 1 | " | 1 | 50 |
| 23-11-89 से 25-11-89 | 1 | " | 3 | 150 |
| 27-11-89 से 30-11-89 | 1 | " | 4 | 200 |
| 1-12-89 से 2-12-89 | 1 | " | 2 | 100 |
| 4-12-89 से 8-12-89 | 1 | " | 5 | 250 |
| 11-12-89 से 16-12-89 | 1 | " | 6 | 300 |
| 18-12-89 से 23-12-89 | 1 | " | 6 | 300 |
| 26-12-89 से 30-12-89 | 1 | " | 5 | 250 |
| 1-1-90 | 1 | " | ½ | 50 |
| 2-1-90 से 6-1-90 | 1 | " | 5 | 250 |
| 8-1-90 से 12-1-90 | 1 | " | 5 | 250 |
| 15-1-90 से 20-1-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 22-1-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 24-1-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 27-1-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 29-1-90 से 31-1-90 | 1 | " | 3 | 150 |
| 1-2-90 से 3-2-90 | 1 | " | 3 | 150 |
| 5-2-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 12-2-90 से 17-2-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 19-2-90 से 22-2-90 | 1 | " | 4 | 200 |
| 24-2-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 26-2-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 28-2-90 से 3-3-90 | 1 | " | 4 | 200 |
| 5-3-90 से 9-3-90 | 1 | " | 5 | 250 |
| 12-3-90 से 13-3-90 | 1 | " | 2 | 100 |
| 17-3-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 19-3-90 से 24-3-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 26-3-90 से 31-3-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 2-4-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 4-4-90 से 6-4-90 | 1 | " | 3 | 150 |
| 9-4-90 से 12-4-90 | 1 | " | 4 | 200 |
| 16-4-90 से 21-4-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 22-4-90 से 26-4-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 28-4-90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 30-4-90 | 1 | " | | |
| 2-5-90 से 5-5-90 | 1 | " | 4 | 200 |
| | | | | 6550 |

| તારીખ | રોકાયેલાં ની સંખ્યા | દર | દિવસ | રકમ |
|---|---|---|---|---|
| આગળથી | | | ૧૩૧ | ૬,૫૫૦ |
| 7-5-90 થી 8-5-90 | 1 | 50/- | 2 | 100 |
| 14-5-90 થી 19-5-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 21-5-90 થી 26-5-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 28-5-90 થી 2-6-90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 10.7.90 થી 13.7.90 | 1 | " | 4 | 200 |
| 16.7.90 થી 21.7.90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 23.7.90 થી 28.7.90 | 1 | " | 6 | 300 |
| 30.7.90 થી 31.7.90 | 1 | " | 2 | 100 |
| 1.8.90 | 1 | " | 1 | 50 |
| 3.8.90 થી 4.8.90 | 1 | " | 2 | 100 |
| 6.8.90 થી 10.8.90 | 1 | " | 5 | 250 |
| 14.8.90 | 1 | " | 1 | 50 |
| | | | | 8,900/- |

(રૂ. આઠ હજાર નવસો પૂરા)